

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.



प्रकरण सं० : 53/2019

अनवान :

राजेश कुमार पुत्र औमप्रकाश उर्फ प्रकाश जाति कुम्हार निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. औमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. ज्ञानसिंह पुत्र औमप्रकाश उर्फ प्रकाश जाति कुम्हार निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रेणू पुत्री औमप्रकाश उर्फ प्रकाश पत्नि सन्दीप जाति कुम्हार निवासी महराना हाल निवास किकराल तहसील सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लिलाधर अग्रवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मदन कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एमआरएन के खाता सं० 13/13 के मु०नं० 45 के किला नं० 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुल किता 9 की 2.2770 है० नहरी, मु०नं० 46 के किला नं० 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 12 की 3.0360 है० जिसमें नहरी 1.4430 है०, बारानी 1.5180 है० गै०मु० खाला 0.0750 है० मु०नं० 59 के किला नं० 2 ता 9, 12 ता 15 की 3.0360 है०, मु०नं० 60 के किला नं० 1, 2, 3, 8 ता 11 कुल किता 7 की 1.7710 है० कुल खसरा 40 कुल क्षेत्रफल 10.1200 है० जिसमें नहरी 8.4520 है०, बारानी 1.5180 है० गै०मु० खाला 0.1500 है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 औमप्रकाश उर्फ प्रकाश के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक जमाबन्दी 2071 से 74 दर्ज थी तथा ख्यालीराम की मृत्यु के पश्चात् रामकुमार, औमप्रकाश, उर्फ प्रकाश, शेरसिंह पि० ख्यालीराम को 35/72 हिस्सा विरासतन ओर प्राप्त हुई है।

उक्त 35/72 हिस्सा में प्रतिवादी औमप्रकाश का 1/3 हिस्सा व चक 7 एमआरएन के खाता सं० 77/21 के मु०नं० 17 के किला नं० 19/2, 20/1 कुल किता 2 क्षेत्रफल 0.2520 है० नहरी, मु०नं० 18 के किला नं० 5, 6, 16, 17, 24, 25 कुल किता 6 की 1.5180 है० जिसमें बारानी 1.4540 है०, गै०मु० रास्ता 0.0640 है०, मु०नं० 21 के किला नं० 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल किता 6 की 1.5180 है०, जिसमें बारानी 1.4790 है० गै०मु० रास्ता 0.0390 है० कुल किता 14 का कुल क्षेत्रफल 3.2880 है० जिसमें नहरी 0.2520 है०, बारानी 2.9330 है० व गैरमुमकिन

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

राजेश बनाम औमप्रकाश आदि पर्चा डिक्री

रास्ता 0.1030 है0 राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश उर्फ प्रकाश का 254-4/9 हिस्सा में 1/3 हिस्सा तथा चक 8 एमआरएन के खाता सं0 90/14 के मु0नं0 62 के किला नं0 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 कुल किता 8 की 2.0240 है0 नहरी, मु0नं0 63 के किला नं0 1, 10 ता 25 कुल किता 17 की 4.3010 है0, जिसमें नहरी 4.2760 है0 गै0मु0 खाला 0.0250 है0 कुल किता 25, कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 जिसमें नहरी 6.3000 है0 गै0मु0 खाला 0.0250 है0 में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश उर्फ प्रकाश के नाम 35/72 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश उर्फ प्रकाश के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



A-25.6.19
(सुखाराम पिण्डेल)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.



प्रकरण सं० : 53/2019

अनवान :

राजेश कुमार पुत्र औमप्रकाश उर्फ प्रकाश जाति कुम्हार निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. औमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. ज्ञानसिंह पुत्र औमप्रकाश उर्फ प्रकाश जाति कुम्हार निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रेणू पुत्री औमप्रकाश उर्फ प्रकाश पत्नि सन्दीप जाति कुम्हार निवासी महराना हाल निवास किकराल तहसील सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि. 1955

उपस्थिति : वकील श्री लिलाधर अग्रवाल : वादी

वकील श्री मदन कड़वासरा : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 25.06.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 एमआरएन के खाता सं० 13/13 के मु०नं० 45 के किला नं० 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुल कित्ता 9 की 2.2770 है० नहरी, मु०नं० 46 के किला नं० 12 ता 19, 22 ता 25 कुल कित्ता 12 की 3.0360 है० जिसमें नहरी 1.4430 है०, बारानी 1.5180 है० गै०मु० खाला 0.0750 है० मु०नं० 59 के किला नं० 2 ता 9, 12 ता 15 की 3.0360 है०, मु०नं० 60 के किला नं० 1, 2, 3, 8 ता 11 कुल कित्ता 7 की 1.7710 है० कुल खसरा 40 कुल क्षेत्रफल 10.1200 है० जिसमें नहरी 8.4520 है०, बारानी 1.5180 है० गै०मु० खाला 0.1500 है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 औमप्रकाश उर्फ प्रकाश के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक जमाबन्दी 2071 से 74 दर्ज थी तथा ख्यालीराम की मृत्यु के पश्चात् रामकुमार, औमप्रकाश, उर्फ प्रकाश, शेरसिंह पि० ख्यालीराम को 35/72 हिस्सा विरासतन ओर प्राप्त हुई है।

उक्त 35/72 हिस्सा में प्रतिवादी औमप्रकाश का 1/3 हिस्सा व चक 7 एमआरएन के खाता सं० 77/21 के मु०नं० 17 के किला नं० 19/2, 20/1 कुल कित्ता 2 क्षेत्रफल 0.2520 है० नहरी, मु०नं० 18 के किला नं० 5, 6, 16, 17,

A 25-6-19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

24, 25 कुल किता 6 की 1.5180 है0 जिसमें बारानी 1.4540 है0, गै0मु0 रास्ता 0.0640 है0, मु0नं0 21 के किला नं0 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल किता 6 की 1.5180 है0, जिसमें बारानी 1.4790 है0 गै0मु0 रास्ता 0.0390 है0 कुल किता 14 का कुल क्षेत्रफल 3.2880 है0 जिसमें नहरी 0.2520 है0, बारानी 2.9330 है0 व गैरमुमकिन रास्ता 0.1030 है0 राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश उर्फ प्रकाश का 254-4/9 हिस्सा में 1/3 हिस्सा तथा चक 8 एमआरएन के खाता सं0 90/14 के मु0नं0 62 के किला नं0 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 कुल किता 8 की 2.0240 है0 नहरी, मु0नं0 63 के किला नं0 1, 10 ता 25 कुल किता 17 की 4.3010 है0, जिसमें नहरी 4.2760 है0 गै0मु0 खाला 0.0250 है0 कुल किता 25, कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 जिसमें नहरी 6.3000 है0 गै0मु0 खाला 0.0250 है0 में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश उर्फ प्रकाश के नाम 35/72 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज है।

वादी के दादा श्री ख्यालीराम पुत्र माणकराम की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद वादी के दादा के नाम दर्ज आराजी उसके वारिसान के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण औद हो गई और प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी के हक तलफी होती है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त में है। प्रतिवादीया सं0 3 अपने ससुराल में आबाद है वहीं पर उसकी सम्पति है। उसने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया, इसलिए वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। बाद घोषणा प्रतिवादी सं0 1 का नाम वाद भूमि से कलमजन कर वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने इकबाल दावे पेश किये।

साक्ष्य वादी में वादी राजेश कुमार पुत्रत्र औमप्रकाश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 4 एमआरएन के खाता सं0 13/13 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 7 एमआरएन के खाता सं0 77/21 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 8 एमआरएन खाता सं0 90/14 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये व वारिस प्रमाण पत्र व ओमप्रकाश व ख्यालीराम, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी 7 एमआरएन सम्वत् 2057 से 60, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 8 एमआरएन सम्वत् 2058, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 4 एमआरएन सम्वत् 2059 पेश किये।

25.6.19
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वादी के दादा श्री ख्यालीराम पुत्र माणकराम की मृत्यु के बाद वादी के दादा के नाम दर्ज आराजी उसके वारिसान के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण औद हो गई और प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज हो गई। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के बहिस्सा बराबर कब्जा काशत में है। प्रतिवादीया सं० 3 अपने ससुराल में आबाद है। उसने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 4, 7 व 8 एमआरएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वादी के दादा श्री ख्यालीराम पुत्र माणकराम की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद वादी के दादा के नाम दर्ज आराजी उसके वारिसान के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण औद हो गई और प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है वादी दावा के उक्त तथ्यों की पुष्टि में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी 7 एमआरएन सम्वत् 2057 से 60, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 8 एमआरएन सम्वत् 2058, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 4 एमआरएन सम्वत् 2059 पेश किये जिनमें वाद भूमि वादी के दादा ख्यालीराम वल्द माणका के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि विरासतन प्राप्त होना व पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र में ओमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम के वारिसान में पत्नि बरजी देवी, दो पुत्र ज्ञानसिंह व राजेश एवं एक पुत्री रेणु होना अंकित है। प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने इकबाल दावे पेश कर वादी के दावा को स्वीकार किया है। वादी के दावा को खण्डन पेश नहीं हुआ है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एमआरएन के खाता सं० 13/13 के मु०नं० 45 के किला नं० 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुल किता 9 की 2.2770 है० नहरी, मु०नं० 46 के किला नं० 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 12 की 3.0360 है० जिसमें नहरी 1.4430 है०, बारानी 1.5180 है० गै०मु० खाला 0.0750 है० मु०नं० 59 के किला नं० 2 ता 9, 12 ता 15 की 3.0360 है०, मु०नं० 60 के किला नं० 1, 2, 3, 8 ता 11 कुल किता 7 की 1.7710 है० कुल खसरा 40 कुल क्षेत्रफल 10.1200 है० जिसमें नहरी 8.4520 है०, बारानी 1.5180 है० गै०मु० खाला 0.1500 है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 औमप्रकाश उर्फ प्रकाश के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक जमाबन्दी 2071 से 74 दर्ज थी तथा ख्यालीराम की मृत्यु के पश्चात् रामकुमार, औमप्रकाश, उर्फ प्रकाश, शेरसिंह पि० ख्यालीराम को 35/72 हिस्सा विरासतन ओर प्राप्त हुई है।

25.6.12

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

राजेश बनाम ओमप्रकाश आदि

उक्त 35/72 हिस्सा में प्रतिवादी ओमप्रकाश का 1/3 हिस्सा व चक 7 एमआरएन के खाता सं० 77/21 के मु०नं० 17 के किला नं० 19/2, 20/1 कुल किता 2 क्षेत्रफल 0.2520 है० नहरी, मु०नं० 18 के किला नं० 5, 6, 16, 17, 24, 25 कुल किता 6 की 1.5180 है० जिसमें बारानी 1.4540 है०, गै०मु० रास्ता 0.0640 है०, मु०नं० 21 के किला नं० 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल किता 6 की 1.5180 है०, जिसमें बारानी 1.4790 है० गै०मु० रास्ता 0.0390 है० कुल किता 14 का कुल क्षेत्रफल 3.2880 है० जिसमें नहरी 0.2520 है०, बारानी 2.9330 है० व गैरमुमकिन रास्ता 0.1030 है० राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश का 254-4/9 हिस्सा में 1/3 हिस्सा तथा चक 8 एमआरएन के खाता सं० 90/14 के मु०नं० 62 के किला नं० 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 कुल किता 8 की 2.0240 है० नहरी, मु०नं० 63 के किला नं० 1, 10 ता 25 कुल किता 17 की 4.3010 है०, जिसमें नहरी 4.2760 है० गै०मु० खाला 0.0250 है० कुल किता 25, कुल क्षेत्रफल 6.3250 है० जिसमें नहरी 6.3000 है० गै०मु० खाला 0.0250 है० में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश के नाम 35/72 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश के बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं० 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़